431 बसों पर जुर्माना,2 .44 लाख वसूले

लोक परिवहन बसों के खिलाफ पुलिस का एक सप्ताह तक चलेगा अभियान

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 28 मई । हाल ही में प्रदेश में हुई बस दुर्घटनाओं और यातायात नियमों की गंभीर अनदेखी को देखते हुए ग्वालियर पुलिस ने लोक परिवहन बसों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर दिनांक 21 मई 2026 से 27 मई 2026 तक चलाए गए विशेष चेकिंग एवं प्रवर्तन अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बस संचालकों पर कार्रवाई की गई है।

सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ पर कड़ी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्रीमती अनु बेनीवाल तथा डीएसपी यातायात अजीत सिंह चौहान के मार्गदर्शन में यह अभियान संचालित हुआ। अभियान का मुख्य उद्देश्य बसों में फिटनेस, परमिट, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और प्राथमिक उपचार किट जैसी सुरक्षा सुविधाओं का पालन सुनिश्चित करना था। सप्ताह भर चले इस सघन चेकिंग अभियान में यातायात पुलिस ने जिले में कुल 1,797 लोक परिवहन बसों की जांच की। इसमें से नियमों का उल्लंघन करने वाली 431 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई। कुल जुर्माने का विवरण इस प्रकार है । फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और फर्स्ट एड बॉक्स न होने पर 428 बसों से 2,23,000 रुपये वसूले गए। नियम विरुद्ध संचालित 2 बसों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ओवरलोडिंग के मामले में 1 बस से 1,000 रुपये का समन शुल्क वसूला गया।

इस प्रकार, पूरे अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 2,44,000 रुपये का समन शुल्क जमा कराया। यातायात पुलिस ग्वालियर का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए भविष्य में भी ऐसी चेकिंग निरंतर जारी रहेगी।

सड़कों को कराया बाधा मुक्त, हटवाया अतिक्रमण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 28 मई। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से ग्वालियर पुलिस और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से हजीरा क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी यातायात अभिषेक रघुवंशी, थाना प्रभारी ग्वालियर प्रशांत शर्मा ने संयुक्त रूप से पैदल घूम कर अतिक्रमण हटवाया और लोगों को समझाइश भी दी।

इन मार्गों से हटाया गया अतिक्रमण: यातायात डीएसपी अजीत सिंह चौहान के मार्गदर्शन में हजीरा चौराहा से इंटेक मैदान, हजीरा चौराहा से किलागेट चौराहा और हजीरा चौराहा से चार शहर का नाका तक के मार्गों पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों, गुमठियों और फुटपाथ पर रखे गए सामान को हटवाया।

ठेले वालों को दी चेतावनी: कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में सड़क पर लगे फल और सब्जी के ठेलों को हटाया गया। प्रशासन ने संबंधित दुकानदारों और ठेला संचालकों को सख्त चेतावनी दी।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 06 वार्ड क्रमांक 32 स्थान सी-1 गाँधी नगर में स्थित है जो कि उषा अग्रवाल/ सुरेश अग्रवाल नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000278124 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1620 वर्गफुट है . उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आर-09032600389616 दिनांक 11/3/2026 से प्राप्त किया गया है . उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र पड़ाव दिनांक 26/05/2026 को किया गया है . जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 63/2010/49036/48987 उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 28-5-2026
गौरव गोयल/रामशंकर गोयल,
अनुराग गोयल/रामशंकर गोयल
पता : सी-1 गाँधी नगर, ग्वालियर(म .प्र .)
मोब - 9926210123

बाबासाहब की प्रतिमा की गई खंडित, मामला दर्ज

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 28 मई । डबरा शुगर मिल क्षेत्र में स्थित भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किए जाने की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। बुधवार देर रात हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही बाबा साहब के अनुयायी सामाजिक कार्यकर्ता रूपेश केन, महेश कुमार (अध्यक्ष सिद्धार्थ बाबा भीम विकास समिति), जूली जाटव (जिला प्रभारी भीम आर्मी जय भीम संगठन) व आकाश जाटव के साथ स्थानीय नागरिक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। लोगों ने घटना को समाज की भावनाओं पर हमला बताते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर विरोध जताया। घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति संवेदनशील हो गई, जिसके चलते पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा। लोगों का कहना था कि बाबा साहब की प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, इसलिए इस प्रकार की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार शाम को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं मे मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालें जा रहें है और संदिग्ध लोगों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इधर प्रशासन द्वारा प्रतिमा स्थल को फिर से व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। प्रतिमा के आसपास साफ-सफाई और मरम्मत कार्य कराया जा रहा है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से प्रतिमा स्थल के चारों तरफ नए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

वीईई एकेडमी के संचालक डॉ . तोमर की भाभीजी का निधन

ग्वालियर 28 मई । वीईई एकेडमी के संचालक डॉ.जी एस तोमर की भाभी श्रीमती ब्रजलता तोमर पत्नी विक्रम सिंह तोमर का 27 मई बुधवार को सुबह आकस्मिक निधन हो गया। ब्रजलता पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थीं और 27 मई को सुबह गृह ग्राम मुरैना जिला के खड़ियाहर पार्थ का पुरा में उन्होंने अंतिम सांस ली। बुधवार को दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया।

इस अवसर पर राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र के गणमान्य जन उपस्थित रहे। ब्रजलता के निधन पर आज 29 मई शुक्रवार को सुबह 9 से 10 बजे तक वीईई एकेडमी सालुपुरा शिवपुरी लिंक रोड पर शोक सभा रखी गई है।

तेज आंधी और बारिश से नौतपा के चौथे दिन बदला मौसम

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 28 मई । नौतपा के चौथे दिन गुरुवार शाम अचानक बदले मौसम ने शहरवासियों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दिलाई। दिनभर तेज धूप और उमस से बेहाल लोगों को शाम होते-होते मौसम ने राहत का अहसास कराया। शहर में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। गुरुवार शाम अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते धूलभरी आंधी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी के कारण शहर के कई क्षेत्रों में पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गईं, जबकि कुछ जगहों पर बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। कई इलाकों में कुछ देर के लिए बिजली गुल रही। हालांकि बारिश शुरू होने के बाद मौसम काफी ठंडा हो गया और लोगों को गर्मी से राहत महसूस हुई।

खण्डन / आम सूचना दिनांक : 16.05.2026

इस आम सूचना पत्र के माध्यम से सर्वसाधारण एवं आम खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री रामनिवास पाल पुत्र स्व. श्री प्रभु दयाल पाल, निवासी- चंबल कॉलोनी, शासकीय क्वार्टर, थाना थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा दिनांक 16.05.2026 को एक आम सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गई थी। उक्त सूचना के संबंध में यह निवेदन है कि मेरे पक्षकार के पुत्र श्री अंकित पाल द्वारा अपने पिता श्री रामनिवास पाल एवं माता जी से अपनी पूर्व की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना कर ली गई है तथा यह आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में वह किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे मेरे पक्षकार एवं उनकी पत्नी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। चूंकि श्री अंकित पाल मेरे पक्षकार का एकमात्र पुत्र है तथा वही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है, साथ ही चल एवं अचल संपत्ति का वैधानिक उतराधिकारी भी है। इसके अतिरिक्त श्री अंकित पाल द्वारा वर्तमान में अपने माता-पिता की उचित सेवा एवं देखभाल भी की जा रही है। इन समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे पक्षकार ने अपने पुत्र श्री अंकित पाल को क्षमा करते हुए पुनः साथ रहने एवं पारिवारिक संबंध सामान्य रूप से बनाए रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अतः मेरे पक्षकार द्वारा दिनांक 16.05.2026 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना/घोषणा को इस आम सूचना के माध्यम से निरस्त एवं शून्य घोषित किया जाता है। यह आम सूचना मेरे पक्षकार द्वारा पूर्ण होशोहवास में पढ़कर, सुनकर एवं समझकर अपने अभिभावक के माध्यम से प्रकाशित कराई जा रही है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भविष्य में दिनांक 16.05.2026 को प्रकाशित पूर्व सूचना को प्रभावहीन एवं निरस्त माना जाए।

प्रेषक
सोमवीर सिंह यादव, अधिवक्ता
कार्यालय- मिलन गार्डन वाली गली के आगे, माँ विहार कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.)
मो. 9827334633, 9300866309

ब्रह्माकुमारीज़ केंद्र पर 'स्वच्छता एवं जल संरक्षण' कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 28 मई । प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा माधवगंज स्थित ब्रह्माकुमारीज़ प्रभु उपहार भवन में 'स्वच्छता एवं जल संरक्षण' विषय पर एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर निगम के अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने कहा कि स्वच्छता और जल संरक्षण केवल सरकारी अभियान नहीं हैं, बल्कि यह जनभागीदारी से सफल होने वाला एक बड़ा सामाजिक दायित्व है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र प्रमुख राजयोगिनी बी.के. आदर्श दीदी ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सभापति लालजी जादौन, जी.डी.ए. उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, पार्षद अनिल सांखला, एड. पूरन सिंह भदौरिया सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

घर में ही कचरे का पृथक्करण बेहद ज़रूरी:अपर आयुक्त

अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'ग्वालियर शहर में प्रतिदिन लगभग 600 टन कचरा निकलता है, लेकिन नागरिकों द्वारा समय पर कचरा न देने के कारण उसका शत-प्रतिशत संग्रहण नहीं हो पाता।'

भीतरी स्वच्छता से ही बदलेगी जीवनशैली: आदर्श दीदी अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में राजयोगिनी बी.के. आदर्श दीदी ने कहा, 'वास्तविक स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण तक सीमित नहीं होनी चाहिए, सुधीर गुप्ता ने कहा कि पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है। घरों में रखे पानी को 'पुराना' समझकर व्यर्थ न बहाएं और बच्चों में जल संरक्षण के संस्कार डालें। सामूहिक संकल्प के साथ हुआ समापन कार्यक्रम के अंत में अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव और बी.के. आदर्श दीदी ने उपस्थित लगभग 450 भाई-बहनों को स्वच्छता एवं जल संरक्षण की सामूहिक शपथ दिलाई। इसके पश्चात अतिथियों को ईश्वरीय सौगात और प्रसाद भेंट किया गया। कार्यक्रम में बिंदु गुप्ता, बीके जीतू, बीके पवन, बीके विजेंदर, रूपेंद्र, पंकज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

एनएसएस के स्वयंसेवकों ने चलाया सफाई अभियान

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 28 मई। भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत दो दिवसीय स्वच्छता श्रमदान एवं स्वच्छता कार्यशाला के प्रथम दिवस जीवाजी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के चयनित स्वयंसेवकों ने स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत महाराज बाड़े पर स्वच्छता अभियान चलाया।

राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ एवं रासेयो जीवाजी विश्वविद्यालय की संयुक्त संगठन व्यवस्था में इस दो दिवसीय स्वच्छता श्रमदान कार्यशाला का आयोजन एनएसएस माधव महाविद्यालय द्वारा किया जा रहा है।

महाराज बाड़े पर आज प्रातः 7 बजे स्वच्छता अभियान की शुरूआत दक्षिण विधानसभा क्षेत्र नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भीष्म पमनानी , वार्ड 50 के स्वास्थ्य अधिकारी विक्रम बांगड़े , प्राचार्य माधव महाविद्यालय डॉ. शिवकुमार शर्मा एवं जिलासंगठक रासेयो ग्वालियर डॉ. मनोज अवस्थी की उपस्थिति में चलाया गया। रासेयो स्वयंसेवकों ने 53 बोरी सूखे कचरे का निस्तारण किया। इस मौके पर स्वयंसेवकों ने महाराज बाड़े पर मानव श्रृंखला बनाकर और रैली निकाल कर स्वच्छता संदेश दिया। स्वच्छता कार्यशाला के संयोजक वरिष्ठ रासेयो कार्यक्रम अधिकारी डॉ. संजय कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में चलाए गए स्वच्छता अभियान में महात्मा गांधी लॉ कॉलेज के रासेयो कार्यक्रम अधिकारी डॉ. नोवेन्द्र सिंह, माधव महाविद्यालय की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सरिता दीक्षित, विश्वविद्यालय रासेयो प्रकोष्ठ के आकाश अष्ठाना, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष धीरज ढींगरा, समाजसेवी संजीव चौरसिया, विजय बांगड़े, नरेन्द्र, आशुतोष पालीवाल, अनामिका राठौर, विष्णु बाथम आदि उपस्थित रहे।

कार्यशाला द्वितीय दिवस 29 मई के कार्यक्रम का आयोजन माधव महाविद्यालय के अटल सभागार में प्रातः 11 बजे से होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद भारत सिंह कुशवाहा होंगे। अध्यक्षता मध्यभारत शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रो.राजेन्द्र बांदिल करेंगे। मुख्यवक्ता के रूप में भारत सरकार उपकार्यक्रम सलाहकार डॉ. अशोक श्रोती उपस्थित रहेंगे। विशिष्ठ अतिथि समन्वयक रासेयो जीवाजी विश्वविद्यालय डॉ. हरिशंकर कंसाना होंगे। साथ ही विशेष रूप से प्राचार्य डॉ. शिवकुमार शर्मा व जिलासंगठक रासेयो डॉ. मनोज अवस्थी भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को सांसद द्वारा प्रमाणपत्र वितरित किए जाएंगे।

आम सूचना

आवेदिका श्रीमती मंगलो बाई पत्नी श्री उदय सिंह कुशवाह, निवासी - कृष्णा नगर, पहाडिया, मोतीझील, पुरानी छावनी, ग्वालियर (म.प्र.) के निर्देशानुसार आम व खास को सूचित किया जाता है कि, आवेदिका के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का प्लॉट क्रमांक-5 पर निर्मित एक भवन, क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट, सर्वे क्रमांक 217/मिन-1 ग्राम अकबरपुर मुजप्ता, न.नि. वार्ड 05, परगना एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है। उक्त भवन की चर्तुसीमा निम्न प्रकार है: पूर्व में - रोड, पश्चिम में भवन कुशवाह जी, उत्तर में - प्लॉट झा जी एवं दक्षिण में - संपत्ति बिक्रेता। आवेदिका ने मेरे पक्षकार वित्तीय संस्था एचडीबी से उक्त संपत्ति पर ऋण हेतु आवेदन किया है जो विचारधीन है। आवेदिका ने उक्त संपत्ति प्लॉट के रूप में किशोर कुशवाह पुत्र श्री कैलाशनारायण कुशवाह से जर्ये रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र पंजी. दस्ता. क्रमांक एमपी14260 2022ए11486 05 एवं पंजी. दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से क्रय की है। पूर्व स्वामी श्री किशोर कुशवाह पुत्र श्री कैलाशनारायण कुशवाह के अलावा भी उक्त सर्वे क्रमांक की संपत्ति के अन्य स्वामी है। आवेदिकानुसार उसके द्वारा बिक्रेता के हिस्से में से ही उक्त संपत्ति क्रय की है जिसमें अन्य किसी सहस्वामी को कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि फिर भी उक्त संपत्ति पर ऋण देना प्रस्तावित है। यदि उक्त संपत्ति की स्वामियों को तथा/अथवा भी किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निकाय आदि को उक्त संपत्ति या उसके भाग के संबंध में बंधक किये जाने कैसी भी आपत्ति जैसे उत्तराधिकार, हक, अधिकार, हस्तांतरण, भार, बंधक, जमानत, अनुबंध या अन्यथा भी किसी आधार पर रखता या रखती हो, तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के इस नोटिस के प्रकाशन से 3 दिवस के अंदर लिखित रुप में प्रस्तुत करें। समयोपरांत् आवेदिका का आवेदन स्वीकार योग्य पाये जाने पर उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार वित्तीय संस्था में बंधक कर उस पर ऋण सुविधा प्रदाय कर दी जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निरर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार की वित्तीय संस्था पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।

इति दिनांक: 28.05.2026

प्रेषक- **गजेन्द्र कुमार भार्गव (एडवोकेट)**
कार्या./नि.- हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
कार्या. समय : 7:00 से 9:00 (सुबह एवं शाम)
मो. 9301122311

जैन मिलन युगल नेमिनाथ ने किया संस्कार शिविर आयोजित

ग्वालियर, 28 मई। भारतीय जैन मिलन क्षेत्रीय क्रमांक 02 के अंतर्गत जैन मिलन युगल नेमिनाथ ग्रेटर ग्वालियर के तत्वाधान में चल रहे आठ दिवसीय 26 मई से 02जून तक श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के तीसरे दिन आज गुरुवार को दाना ओली स्थित श्री दिगंबर पार्श्वनाथ नये जैन मंदिर में शिविर में महिलाएँ और बच्चे जैन धर्म के मूल संस्कारों की शिक्षा ग्रहण कर रहे है। वहीं इंदौर से आए पंडित सम्यक जैन शास्त्री ने बच्चों सहित 300 शिवार्थियो को जैन धर्म में शिविर की सार्थकता का महत्त्व बताया कर उनसे प्रश्न पूछकर ज्ञान परखा गया। शिविर के विद्वान पंडित सम्यक जैन शास्त्री इंदौर ने महिला, बालक, बालिकाओं को जैन धर्म में शिविर की सार्थकता महत्व की शिक्षा देते हुए बताया कि जैन धर्म में शिविरों के आयोजन का उद्देश्य केवल धार्मिक कर्मकांड सीखना नहीं, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि शिविर में मुख्य अतिथि जैन मिलन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शीला टोंग्या, क्षेत्रीय मंत्री कमलेश जैन थे।

अतिथियों का स्वागत संस्थापक अध्यक्ष शिविर निदेशक रवि जैन, क्षेत्रीय युवा संयोजक पारस जैन, शिविर संयोजक ऋषभ जैन, संस्था अध्यक्ष कुणाल जैन, सचिव अमित जैन, कोषाध्यक्ष अंकुश जैन आदि ने किया।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

गिरिबाला सिंह गिरफ्तार.....

देर शाम करीब 5 बजे गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी से पहले करीब 7 घंटे तक सीबीआई ने उनके काटार हिल्स स्थित आवास में पूछताछ की. सीबीआई की टीम स्थानीय थाने की पुलिस टीम के साथ सुबह करीब 10.30 बजे गिरिबाला सिंह के मकान पर पहुंची. इस दौरान पूर्व जज के मकान के आस-पास पुलिस ने पहले से ही बैरिकेटिंग कर रखी थी और कटारा हिल्स थाने की पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहे. गिरिबाला सिंह को गिरफ्तारी के बाद मेडिकल परीक्षण के लिए मैनिट ले जाया गया. सीबीआई ने मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में ही कैंप ऑफिस बनाया है, जहां मेडिकल बोर्ड को बुलाकर उनका चेकअप कराया गया. सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि गिरिबाला सिहं ने सीबीआई की पूछताछ में लगातार अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया. इस दौरान उनके वकीलों ने डाक्टरों के पर्चे भी सीबीआई के अधिकारियों को दिखाए. इसके बाद भी गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हुई और उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. दरअसल यह मामला कटारा हिल्स थाना क्षेत्र के बागमुगलिया एक्सटेंशन की रहने वाली ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ा है. ट्विशा की शादी 9 दिसंबर 2025 को अधिवक्ता समर्थ सिंह से हुई थी, जो पूर्व जज गिरिबाला सिंह के बेटे हैं. 12 मई को ट्विशा अपने घर में फांसी पर लटकी मिली. इसके बाद कटारा हिल्स थाना में दहेज प्रताड़ना और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया. भोपाल की 10वीं अतिरिक्त सत्र अदालत ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान विशाल पाल पुत्र श्री मेहरबान के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका पटवारी हल्का क्र . 56, वार्ड क्र . 06, सिरोही रोड पर, ग्राम डबरा एवं तहसील डबरा व जिला ग्वालियर के सर्वे क्र . 1723 की होकर जिसकी चतुर्सीमा :- पूर्व में- प्लॉट दीगर, पश्चिम में-रास्ता 20 फुट, उत्तर में- प्लॉट अजय साहू, दक्षिण में- प्लॉट सुरेश साहू व कुल क्षेत्रफल 555 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान सरमेल सिंह पुत्र श्री अमर सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की थी। तत्पश्चात, श्रीमान सरमेल सिंह पुत्र श्री अमर सिंह द्वारा श्रीमान सुम्मेरा उर्फ सुमेरा, पप्पू उर्फ रामनाथ पुत्रगण श्री रामचरण को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख सरल क्र . 1673 ग्रंथ क्र . 6195 व दिनांक 21.06.2012 से विक्रय की गई। तदुपरांत, केवल श्रीमान रामनाथ पुत्र श्री रामचरण द्वारा श्रीमान विशाल पाल पुत्र श्री मेहरबान को ई-रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र . MP21IGR17392025A101102726 व दिनांक 03.12.2025 से विक्रय की गई। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियॉ इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक- 28.05.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय- 'मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट'
ग्राउंड फ्लोर यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नं . 2 के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर म.प्र. **मो. 9826820987**

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती जूली बाई यादव पत्नी श्री कोमल सिंह यादव के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका पटवारी हल्का क्र . 45, ग्राम टेकनपुर एवं तहसील डबरा व जिला ग्वालियर के सर्वे क्र . 92/2 की होकर जिसकी चतुर्सीमा :- पूर्व में- रास्ता 15 फुट, पश्चिम में-शर्मा जी की भूमि, उत्तर में- प्लॉट अशोक कुशवाह, दक्षिण में- मकान संतोष कुशवाह व कुल क्षेत्रफल 768 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान छाऊराम, कल्याण सिंह, फेरन सिंह, पहलवान सिंह, सीताराम पुत्रगण श्री काशीराम के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज हैं। तत्पश्चात, केवल श्रीमान पहलवान सिंह पुत्र श्री काशीराम कुशवाह द्वारा श्रीमती रेखा कुशवाह पत्नी श्री रामबाबू कुशवाह को ई- रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र . MP142582022A1540091 व दिनांक 24.05.2022 से विक्रय की गई। तदुपरांत श्रीमती रेखा कुशवाह पत्नी श्री रामबाबू कुशवाह द्वारा श्रीमती जूली बाई यादव पत्नी श्री कोमल सिंह यादव को ई-रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र . MP21IGR17392026A100369239 व दिनांक 26.03.2026 से विक्रय की गई। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक :- 28.05.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय- 'मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट'
ग्राउंड फ्लोर यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नं . 2 के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर म.प्र. **मो. 9826820987**

आम सूचना

श्रीमती सुमन पत्नी श्री परसराम के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित सॉई नगर, ग्राम मुरार, प.ह.नं.92, तहसील एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र .62 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र .240 ग्राम मुरार का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 437.5 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में भूखण्ड दीगर, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में भूखण्ड क्र .65 का भाग एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र .66 (भवन पिंकी कौशलेन्द्र) है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री अमर सिंह, श्री उदयभान सिंह, श्री हरभान सिंह, श्री परशुराम, श्री लीलाधर पुत्रगण श्री खच्चू के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री अमर सिंह, श्री उदय सिंह, श्री हरभजन उर्फ हरभान सिंह, श्री लीलाधर द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती सुमन पत्नी श्री परसराम के हित में ई-रजिस्टर्ड सहमति विलेख क्र . एमपी 142592017ए1395729 दिनांक 12.07.2017 को सम्पादित किया गया। श्रीमती सुमन द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये ज